राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः आर०एम०पी०यू०/ 1167 /2025 **दिनांक:- 06 जून, 2025**

सेवा में,

प्रबंधक / सचिव / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,अलीगढ़।

विषय : अवस्थापना तथा मूलभूत कमियाँ पूर्ण करने के संबंध में ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक सत्र 2025-2026 की सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में कक्षा संचालन एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में माननीय कुलपति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि-

1. परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class)की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा ।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या -2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में में उल्लिखित सुसंगत दिशा -निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी ।
3. जिन सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता /सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा ।
4. महाविद्यालय कक्ष संचालन से पूर्व मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबंध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये ।
5. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।
6. सम्बद्ध महाविद्यालयों की प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी है, नियमानुसार विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
7. सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों से संबंधित शुल्क एवं FDR विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं करायी हैं वे एक सप्ताह के भीतर जमा कराना सुनिश्चित करें ।
8. सम्बद्ध महाविद्यालयों में नवीन अग्निशमन प्रमाण पत्र, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता हैं, वह एक सप्ताह के भीतर संबंधित अभिलेख विश्वविद्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त के साथ ही समस्त महाविद्यालयों से अनुरोध है कि समस्त कमियों का निराकरण करते हुए नोटरी द्वारा प्रमाणित रुपये 100/- का शपथ पत्र इस आशय से विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे कि उनके द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है तथा समस्त कमियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं ।

प्रपत्रों के असत्य पाये जाने एवं निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

नोट- शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिये प्रवेश संबंधी प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।

भवदीय

(धीरेन्द्र कुमार)
कुलसचिव।

<u>**पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।**</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. परीक्षा नियंत्रक, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. उपकुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. निजी सचिव, मा० कुलपति जी, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली ।

कुलसचिव।